

प्रेस नोट

दिनांक - 18.07.2026

‘ऑपरेशन कन्विकशन’ के तहत प्रभावी पैरवी से गैंगस्टर एक्ट के आरोपी अभियुक्तों को हुई 03 वर्ष का सश्रम कारावास व प्रत्येक को 5,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा-

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ के आदेश के क्रम एवं श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विकशन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

जिसके क्रम में आज दिनांक 18.07.2026 को उक्त अभियोग में मा० न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट गोण्डा महोदय श्री मनोज कुमार द्वारा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री प्रदीप कुमार शुक्ला, अभियोजक श्री उदय प्रताप वर्मा, कोर्ट मोहरीर म०का० नीरा यादव, थाना मोतीगंज के पैरोकार म०का० सारिका की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दोषी अभियुक्तों 01. रामकुबेर, 02. रामदुलारे व 03. सुरेश पुत्र सितई को 03-03 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 5,000/- रु० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्तगण का नाम पता-

01. रामकुबेर पुत्र सितई खटिक, निवासी ग्राम डडवा दसौतिया, थाना मोतीगंज गोण्डा।
02. राम दुलारे पुत्र हनोमान उर्फ हनऊ खटिक, निवासी ग्राम डडवा दसौतिया, थाना मोतीगंज गोण्डा।
03. सुरेश पुत्र सितई, निवासी ग्राम डडवा दसौतिया, थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०स० -83/2004 धारा 307 भादवि व 3(1)यू०पी० गैंगस्टर एक्ट थाना मोतीगंज जनपद गोंडा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 18.07.2026

दिव्यांगजनों की सुरक्षा, सम्मान एवं सहायता के लिए गोण्डा पुलिस की विशेष पहल, सीपीयू टीम द्वारा गाँव-गाँव पहुंचकर 56 दिव्यांगजनों की समस्याएं सनकर किया गया निस्तारण-

गोण्डा। अपर पुलिस महानिदेशक, गोरखपुर जोन, गोरखपुर द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में जनपद गोण्डा पुलिस द्वारा दिव्यांगजनों की सुरक्षा, सम्मान, सहायता एवं उनके साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से विशेष कम्युनिटी पुलिसिंग अभियान प्रारम्भ किया गया है। वर्तमान सामाजिक परिवेश को दृष्टिगत रखते हुए जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में निवास करने वाले दिव्यांगजनों का चिन्हीकरण कर उनका विवरण संकलित किया जा रहा है। इसके लिए प्रत्येक थाने की कम्युनिटी पुलिसिंग यूनिट (सीपीयू) गठित की गई है, जो नियमित रूप से दिव्यांगजनों से संपर्क स्थापित कर उनकी समस्याओं, आवश्यकताओं एवं सुरक्षा संबंधी चिंताओं की जानकारी प्राप्त करेगी। अभियान के अंतर्गत दिव्यांगजन रजिस्टर तैयार किया गया है, जिसमें उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर, आयु, दिव्यांगता का प्रकार, स्वास्थ्य एवं सामाजिक स्थिति सहित संपर्क से संबंधित आवश्यक विवरण अंकित किया जाएगा। सीपीयू टीम द्वारा प्रत्येक सप्ताह निर्धारित दिवसों (सोमवार, बुधवार एवं शनिवार) को दिव्यांगजनों से संपर्क स्थापित कर उनका कुशलक्षेम जाना जाएगा तथा चिन्हित दिव्यांगजनों की व्यक्तिगत, सामाजिक, स्वास्थ्य एवं अन्य आवश्यक समस्याओं की जानकारी प्राप्त की जाएगी। प्राप्त समस्याओं के आधार पर आवश्यकता अनुसार समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर उन्हें यथोचित सहायता, आवश्यक सुविधाएं एवं शासन द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारियों, थाना प्रभारियों एवं सीपीयू टीमों को निर्देशित किया गया है कि वे दिव्यांगजनों के प्रति संवेदनशील एवं सहयोगात्मक व्यवहार अपनाते हुए नियमित संवाद स्थापित करें तथा उनकी समस्याओं के समाधान हेतु प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें।

उक्त अभियान के क्रम में आज दिनांक 18.07.2026 को जनपदीय सीपीयू टीम द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कुल 46 दिव्यांगजनों से उनके आवास पर पहुंचकर संपर्क स्थापित किया गया। इनमें थाना कोतवाली नगर के 07, को0देहात के 05, खरगपुर के 02, इटियाथोक के 01, धानेपुर के 01, मोतीगंज के 03, मनकापुर के 07, छपिया के 07, खोड़ारे के 02, उमरी बेगमगंज के 01, वजीरगंज के 07, नवाबगंज के 02, कोतवाली कर्नलगंज के 04, कौड़िया के 01, परसपुर के 01, कटरा बाजार के 02 तथा महिला थाना के 07 दिव्यांगजन शामिल रहे। संपर्क अभियान के दौरान पुलिस टीम द्वारा दिव्यांगजनों का कुशलक्षेम जाना गया तथा उनकी समस्याओं एवं आवश्यकताओं को गंभीरता से सुनते हुए उनके त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की गई। साथ ही उन्हें सुरक्षा संबंधी आवश्यक जानकारी प्रदान करते हुए किसी भी आपात स्थिति में तत्काल पुलिस सहायता प्राप्त करने हेतु जागरूक किया गया। गोण्डा पुलिस की इस जनहितकारी एवं संवेदनशील पहल की दिव्यांगजनों एवं उनके परिजनों द्वारा सराहना की गई तथा उन्होंने पुलिस के प्रति अपना विश्वास एवं संतोष व्यक्त किया।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 18.07.2026

थाना को0 कर्नलगंज, खरगपुर व परसपुर पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में पुलिस मुठभेड़ में 02 शातिर अंतर्जनपदीय चोर गोली लगने से घायल सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 03 अवैध तमंचा, जिंदा व खोखा कारतूस, चोरी किए हुए आभूषण (पीली व सफेद धातु), घटना में प्रयुक्त 02 मोटरसाइकिल व ₹19,400/- नकद बरामद :

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 कर्नलगंज, खरगपुर व परसपुर पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में थाना को0 कर्नलगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0-427/2026, धारा 331(4), 305(A) बीएनएस से सम्बन्धित घटना में संलिप्त पुलिस मुठभेड़ में 03 शातिर चोरों- 01. चुनमुन चौहान उर्फ विशाल पुत्र जयकरन, 02. शिवकुमार उर्फ सुक्खी पुत्र बुधराम, 03. रोशनलाल पुत्र चन्द्रिका को पण्डितपुरवा बगिया के पास से घायल/गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार चोरों के कब्जे से 03 अवैध तमंचा, जिंदा व खोखा कारतूस, चोरी किए हुए आभूषण (पीली व सफेद धातु), घटना में प्रयुक्त 02 मोटरसाइकिल व ₹19,400/- नकद बरामद किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 18.07.2026 की रात्रि में थाना को0 कर्नलगंज, खरगपुर व परसपुर पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में पण्डितपुरवा कादीपुर लखनऊ गोण्डा मार्ग पर संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की सघन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बिना नंबर प्लेट की 02 मोटरसाइकिलों पर सवार संदिग्ध व्यक्तियों को रुकने का संकेत दिया गया, किन्तु वे पुलिस टीम को देखकर भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा पीछा किए जाने पर बदमाशों ने स्वयं को घिरता देख पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्यवाही में 02 बदमाश- 01. चुनमुन चौहान उर्फ विशाल पुत्र जयकरन, 02. शिवकुमार उर्फ सुक्खी पुत्र बुधराम के पैर में गोली लगी। इसी दौरान उसके 01 अन्य साथी अभियुक्त 03. रोशनलाल पुत्र चन्द्रिका को पुलिस बल द्वारा घेराबन्दी कर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस मुठभेड़ में घायल अभियुक्तगण 01. चुनमुन चौहान उर्फ विशाल व 02. शिवकुमार उर्फ सुक्खी को प्राथमिक उपचार हेतु जिला अस्पताल गोण्डा ले जाया गया। पुलिस द्वारा अभियुक्तों के कब्जे से 03 अवैध तमंचा, जिंदा व खोखा कारतूस, चोरी किए हुए आभूषण (पीली व सफेद धातु), घटना में प्रयुक्त 02 मोटरसाइकिल व ₹19,400/- नकद बरामद किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि वे अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर पहले दुकानों की रेकी करते थे तथा अवसर पाकर रात्रि के समय दुकानों का ताला तोड़कर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। अभियुक्तगण सोने-चांदी के आभूषण, नगदी एवं अन्य कीमती सामान चोरी कर आपस में बांट लेते थे तथा कुछ सामान स्थानीय स्तर पर बेचकर उससे प्राप्त धनराशि का उपयोग अपने व्यक्तिगत खर्चों में करते थे। इसी क्रम में अभियुक्तों द्वारा थाना कर्नलगंज क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 15.07.2026 की रात्रि में चोरी चौराहा स्थित एक सर्राफा दुकान का ताला तोड़कर उसमें रखे आभूषण एवं अन्य सामान चोरी किया गया था। थाना खरगपुर क्षेत्रान्तर्गत गोण्डा-बहराइच रोड स्थित ग्राम मनोहरजोत (पठानाजोत) में स्थित एक ज्वेलरी की दुकान में दिनांक 07.07.2026 को चोरी की घटना कारित की गई थी। इसके अतिरिक्त थाना परसपुर क्षेत्रान्तर्गत एक ग्राहक सेवा केन्द्र का सीसीटीवी कैमरा क्षतिग्रस्त कर केन्द्र का ताला तोड़ते हुए उसमें रखी नगदी चोरी की गई थी। बरामद सोने-चांदी के आभूषण, नकदी एवं अन्य सामान उक्त चोरी की घटनाओं से संबंधित होना प्रकाश में आया है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. चुनमुन चौहान उर्फ विशाल पुत्र जयकरन नि0 ग्राम मल्लू सिंहपुरवा थाना पयागपुर जनपद बहराइच। (पुलिस मुठभेड़ में घायल)
02. शिवकुमार उर्फ सुक्खी पुत्र बुधराम नि0 खरगौरा जनूब थाना विशेषगंज जनपद बहराइच (पुलिस मुठभेड़ में घायल)
03. रोशनलाल पुत्र चन्द्रिका नि0 दीवानपुरवा थाना विशेषगंज जनपद बहराइच।

अनावरित अभियोग-

01. मु0अ0सं0-427/2026, धारा 331(4), 305(A) बीएनएस थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0 - 300/26, धारा 305(A) बीएनएस थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0सं0- 165/26 धारा 305(A), 331(4) बीएनएस थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 432/26 धारा 109(1) बीएनएस 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना कर्नलगंज नपद गोण्डा ।

बरामदगी-

01. नाक कान का कील - 01 ग्राम (पीली धातु),
02. पायल बिछिया आदि - 01 किलोग्राम (सफेद धातु)
03. चोरी का ₹19,400/- नकद,
04. घटना में प्रयुक्त 02 अदद मोटरसाइकिल बिना नम्बर प्लेट,
05. 01 अदद प्लास ,
06. 01 अदद सब्बल
06. 02 अदद कट्टा 12 बोर , 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर, 02 अदद खोखा कारतूस 12 बोर,
07. 01 अदद कट्टा 315 बोर , 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद

आपराधिक इतिहास चनमन चौहान उर्फ विशाल पत्र जयकरन-

01. मु0अ0सं0- 364/2020 धारा 457/380/411 आईपीसी थाना फखरपुर बहराइच
02. मु0अ0सं0- 46/2026 धारा 305(A),331(4),317(2) बीएनएस थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा
03. मु0अ0सं0- 10/2020 धारा 380/411/413/457 आईपीसी थाना कटराबाजार गोण्डा
04. मु0अ0सं0- 202/2024 धारा 380/411/457 आईपीसी थाना कटराबाजार गोण्डा
05. मु0अ0सं0- 269/2024 धारा 305,331,317(2) बीएनएस थाना कटराबाजार गोण्डा
06. मु0अ0सं0- 816/2019 धारा 380/411/413/457 आईपीसी को0 नगर गोण्डा
07. मु0अ0सं0- 271/2024 धारा 380/411/457 आईपीसी को0 नगर गोण्डा
08. मु0अ0सं0- 509/2024 धारा 305,331(1),317(2) बीएनएस को0 नगर गोण्डा
09. मु0अ0सं0- 512/2024 धारा 305,331(4) बीएनएस को0 नगर गोण्डा
10. मु0अ0सं0- 297/2024 धारा 380/411/457 आईपीसी मनकापुर गोण्डा
11. मु0अ0सं0- 298/2024 धारा 457/380/411 आईपीसी थाना मनकापुर गोण्डा
12. मु0अ0सं0- 49/2026 धारा 305,331(4) बीएनएस थाना नवाबगंज गोण्डा गोण्डा
13. मु0अ0सं0- 444/2020 धारा 380/411 आईपीसी थाना फखरपुर बहराइच
14. मु0अ0सं0- 438/2020 धारा 380/411 आईपीसी थाना हुजूरपुर बहराइच
15. मु0अ0सं0- 064/2020 धारा 457/380/411/413 ईपीसी थाना मोतीपुर बहराइच
16. मु0अ0सं0- 13/2020 धारा 457/380/411 आईपीसी थाना नवाबगंज जनपद बहराइच
17. मु0अ0सं0- 369/2020 धारा 380/411/457 आईपीसी थाना पयागपुर बहराइच

18. मु0अ0सं0- 104/2022 धारा 401 आईपीसी थाना पयागपुर बहराइच
19. मु0अ0सं0- 108/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना पयागपुर बहराइच
20. मु0अ0सं0- 289/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना पयागपुर बहराइच
21. मु0अ0सं0- 435/2024 धारा 317(2),317(4),341(2) बीएनएस थाना पयागपुर बहराइच
22. मु0अ0सं0- 193/2020 धारा 457/380/411 आईपीसी रानीपुर बहराइच
23. मु0अ0सं0- 144/2020 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना रिसिया जनपद बहराइच
24. मु0अ0सं0- 49/2026 धारा 305/331(4) बीएनएस थाना नबाबगंज गोण्डा
25. मु0अ0सं0- 60/2025 धारा 305सी/317(2)/317(4) बीएनएस थाना जीआरपी गोण्डा
26. मु0अ0सं0- 46/2020 धारा 34/380/411/414/457 भादवि थाना मल्हीपुर श्रावस्ती
27. मु0अ0सं0- 52/2020 धारा 34/380/411/414/457 भादवि थाना इकौना श्रावस्ती

आपराधिक इतिहास रोशनलाल लोनिया पत्र चन्द्रिका-

01. मु0अ0सं0- 130/2024 धारा 457/380/411 आईपीसी थाना धानेपुर गोण्डा
02. मु0अ0सं0- 171/2024 धारा 457/380/411 आईपीसी थाना धानेपुर गोण्डा
03. मु0अ0सं0- 194/2024 धारा 313 बीएनएस 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना धानेपुर गोण्डा
04. मु0अ0सं0- 049/2026 धारा 305,331(4) बीएनएस थाना नबाबगंज जनपद गोण्डा
05. मु0अ0सं0- 157/2024 धारा 457/380/411 आईपीसी थाना रानीपुर बहराइच
06. मु0अ0सं0- 80/2024 धारा 60 आब0 अधि0 थाना विशेशरगंज बहराइच
07. मु0अ0सं0- 1469/2016 धारा 458/380/411/413/506 भादवि थाना मुण्डेरवा जनपद बस्ती
08. मु0अ0सं0- 227/2025 धारा 305ए/317(2)/317(4)/331(2) बीएनएस थाना सोनवा जनपद श्रावस्ती
09. मु0अ0सं0- 279/2025 धारा 305ए/317(2)/317(4)/331(4) बीएनएस थाना गिलौला जनपद श्रावस्ती
10. मु0अ0सं0- 297/2025 धारा 109/313/352/351(3) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गिलौला, श्रावस्ती
11. मु0अ0सं0- 2155/2016 धारा 457/380/411 भादवि थाना खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर
12. मु0अ0सं0- 2311/2016 धारा 457/380/411 भादवि थाना खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर
13. मु0अ0सं0- 292/2021 धारा 401 भादवि थाना दरगाह शरीफ जनपद बहराइच
14. मु0अ0सं0- 47/2024 धारा 380/411/457 भादवि थाना पयागपुर बहराइच
15. मु0अ0सं0- 238/2024 धारा 380/411/457 भादवि थाना पयागपुर बहराइच
16. मु0अ0सं0- 323/2024 धारा 380/411/457 भादवि थाना पयागपुर बहराइच
17. मु0अ0सं0- 328/2024 धारा 380/411/457 भादवि थाना पयागपुर बहराइच
18. मु0अ0सं0- 004/2024 धारा 380/411/457 भादवि थाना रानीपुर बहराइच
19. मु0अ0सं0- 37/2024 धारा 380/411/457 भादवि थाना रानीपुर बहराइच
20. मु0अ0सं0- 768/2015 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना विशेशरगंज बहराइच
21. मु0अ0सं0- 11/2024 धारा 380/411/457 भादवि थाना विशेशरगंज बहराइच
22. मु0अ0सं0- 65/2024 धारा 380/411/457 भादवि थाना विशेशरगंज बहराइच
23. मु0अ0सं0- 66/2024 धारा 380/411/457 भादवि थाना विशेशरगंज बहराइच

24. मु0अ0सं0- 23/2025 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना विशेशरगंज बहराइच
25. मु0अ0सं0- 510/2016 धारा 380/411/457 भादवि थाना कल्वारी जनपद वस्ती
26. मु0अ0सं0- 3420/2016 धारा 380/411/454 भादवि थाना कोतवाली वस्ती
27. मु0अ0सं0- 3519/2016 धारा 380/411/457 भादवि थाना कोतवाली वस्ती
28. मु0अ0सं0- 3752/2016 धारा 380/411 भादवि थाना कोतवाली वस्ती
29. मु0अ0सं0- 3929/2016 धारा 380/411/457 भादवि थाना कोतवाली वस्ती
30. मु0अ0सं0- 4056/2016 धारा 307/401/411/413 भादवि थाना कोतवाली वस्ती
31. मु0अ0सं0- 4059/2016 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली वस्ती
32. मु0अ0सं0- 4392/2016 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली वस्ती
33. मु0अ0सं0- 286/2024 धारा 380/411/457 भादवि थाना को0 कर्नलगंज गोण्डा
34. मु0अ0सं0- 46/2026 धारा 305(a), 317(2), 331(4) बीएनएस थाना इटियाथोक गोण्डा
35. मु0अ0सं0- 404/2024 धारा 380, 411, 457 को0 नगर गोण्डा
36. मु0अ0सं0- 369/2020 धारा 380, 411, 457 थाना पयागपुर बहराइच
37. मु0अ0सं0- 350/2024 धारा 380, 411, 457 थाना पयागपुर बहराइच
38. मु0अ0सं0- 181/2013 धारा 380, 411, 457 थाना कौड़िया गोण्डा
39. मु0अ0सं0- 130/2012 धारा 380, 411, 457 थाना छपिया गोण्डा
40. मु0अ0सं0- 467/2007 धारा 380, 411, 457 थाना को0 देहात बलरामपुर
41. मु0अ0सं0- 471/2007 धारा 41/411/413/414 भादवि थाना को0 देहाता बलरामपुर
42. मु0अ0सं0- 581/2007 धारा 401 भादवि थाना को0 देहात बलरामपुर
43. मु0अ0सं0- 310/2007 धारा 380/457 भादवि को0 नगर बलरामपुर
44. मु0अ0सं0- 463/2007 धारा 380/457 भादवि को0 नगर बलरामपुर
45. मु0अ0सं0- 533/2007 धारा 380 भादवि को0 नगर बलरामपुर
46. मु0अ0सं0- 535/2009 धारा 380/457 भादवि थाना पयागपुर बहराइच

आपराधिक इतिहास शिवकुमार उर्फ सक्खी पुत्र बधराम

01. मु0अ0सं0-202/2024 धारा 457/380/411 भादवि थाना कटरा बाजार गोण्डा
02. मु0अ0सं0- 271/2024 धारा 457/380/411 भादवि थाना को0 नगर गोण्डा
03. मु0अ0सं0-509/2024 धारा 305/317(2)/331(1) बीएनएस थाना को0 नगर गोण्डा
04. मु0अ0सं0- 512/2024 धारा 305/331(4) बीएनएस थाना को0 नगर गोण्डा
05. मु0अ0सं0- 297/2024 धारा 457/380/411 भादवि थाना मनकापुर गोण्डा
06. मु0अ0सं0- 298/2024 धारा 457/380/411 भादवि थाना मनकापुर गोण्डा
07. मु0अ0सं0- 049/2026 धारा 305,331(4) बीएनएस थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा
08. मु0अ0सं0- 542/2024 धारा 305ए/317(2)/317(4)/331(4) बीएनएस थाना भिनगा श्रावस्ती
09. मु0अ0सं0- 227/2025 धारा 305ए/317(2)/317(4)/331(2) बीएनएस थाना सोनवा श्रावस्ती
10. मु0अ0सं0- 307/2024 धारा 305ए/317(2)/ 331(4) बीएनएस थाना इकौना श्रावस्ती
11. मु0अ0सं0- 279/2025 धारा 109/313/352/351(3) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गिलौला जनपद श्रावस्ती
12. मु0अ0सं0- 297/2025 धारा 109/313/352/351(3) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गिलौला जनपद श्रावस्ती

13. मु0अ0सं0-12/2011 धारा 120B, 307, 401, भादवि रेहारा बाजार बलरामपुर
14. मु0अ0सं0-813/2010 धरा 380/411/457 भादवि थाना रेहारा बाजार गोण्डा
15. मु0अ0सं0-368/2012 धारा 380/457 भादवि थाना विशेशरगंज गोण्डा
16. मु0अ0सं0-373/2012 धारा 459 भादवि थाना विशेशरगंज गोण्डा
17. मु0अ0सं0-417/2012 धारा 3/5/25 आम्स एक्ट थाना विशेशरगंज गोण्डा
18. मु0अ0सं0 - 300/26, धारा 305(A) बीएनएस थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
19. मु0अ0सं0- 269/2024 धारा 305, 317(2), 331 बीएनएस थाना कटरा बाजार गोण्डा
20. मु0अ0सं0- 46/2026 धारा 305(a), 317(2), 331(4) बीएनएस थाना इटियाथोक गोण्डा-

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. श्री नरेन्द्र राय प्रभारी निरीक्षक थाना कर्नलगंज मय टीम।
02. श्री कमल शंकर चतुर्वेदी प्रभारी निरीक्षक थाना परसपुर मय टीम।
03. श्री गोविन्द प्रभारी निरीक्षक थाना खरगूपुर मय टीम।

मीडिया सेल, गोण्डा।